प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

रिट अपील क्रमांक 143/2009

नगर पालिक निगम, रायपुर

बनाम

श्रीमती मंदाकिनी राम व एक अन्य

तथा अन्य संबंधित रिट अपीलें, **रिट अपील क्रमांक** 158/2009, 159/2009, 160/2009, 161/2009, 162/2009, 163/2009, 164/2009, 165/2009, 166/2009, 167/2009, 170/2009, 171/2009, 172/2009, 173/2009, 174/2009, 175/2009, 176/2009, 177/2009, 178/2009, 179/2009, 181/2009, 182/2009, 183/2009, 184/2009, 185/2009, 186/2009, 187/2009, 188/2009, 189/2009, 190/2009, 191/2009, 192/2009, 193/2009, 194/2009, 195/2009, 197/2009, 198/2009, 199/2009, 200/2009, 201/2009, 202/2009, 203/2009, 204/2009, 205/2009, 206/2009, 208/2009, 209/2009, 210/2009, 211/2009, 212/2009, 213/2009, 214/2009, 215/2009, 216/2009.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु आदेश

सही/-

सुनील कुमार सिंन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनांक 21.10.2009 को सूचीबद्घ करें।

सही/-
न्यायाधीश
(20.10.2009)

टिप्पणी: हस्ताक्षरित आदेश को रिट अपील क्रमांक 143/2009 में रखा जाएगा।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 143/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्रीमती मंदाकिनी राम, पति स्व. डॉ. शांत कुमार, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी क्लिनिक, पटवा कॉम्प्लेक्स के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 158/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्रीमती हंशी देवी मखीजा, पति स्व. केशव दास मखीजा, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी हरीश बर्तन भंडार, पोस्ट ऑफिस के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट अपील क्रमांक 159/2009</u>

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. सुखदेव देवांगन, पिता श्री पुरूषोत्तम देवांगन, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी देव एसटीडी, जनता होटल, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

<u>रिट अपील क्रमांक 160/2009</u>

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. लीला राम देवांगन, पिता स्व. श्याम लाल देवांगन, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी फ्रेंड्स टेलर्स, जनता होटल, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

<u>रिट अपील क्रमांक 161/2009</u>

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : 1. सुनील कुमार आहूजा, पिता श्री राधाकृष्ण आहूजा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी प्रोप. आशीष कलेक्शन, मेन रोड, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

<u>रिट अपील क्रमांक 162/2009</u>

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्रीमती आशा देवी परवानी, पति श्री रमेश कुमार परवानी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी रमेश होइसरी एंड क्लॉथ सेंटर के सामने।

माता मंदिर, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 163/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. जयराम दास आहूजा, पिता श्री उद्धव दास आहूजा, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी प्रोप. आशीष क्लॉथ स्टोर्स, मेन रोड, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 164/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. राजकुमार आहूजा, पिता स्व. उद्धव दास आहूजा, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी राज इलेक्ट्रॉनिक्स, जनता होटल, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 165/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्रीमती संध्या तेजवानी, पिता श्री श्यामलाल तेजवानी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गोविंद ग्लास एजेंसी, जनता होटल के सामने, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 166/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. अनिल कुमार आहूजा, पिता स्व. उद्धव दास आहूजा, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गुरु कृपा क्लॉथ स्टोर्स, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 167/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. तीरथ दास बजाज, पिता दुलाराम बजाज, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी प्रोप. गणेश किराना स्टोर्स, मेन रोड, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 170/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : 1. पूर्णेन्द्र कुमार सिन्हा, पिता घसिया राम सिन्हा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सुपर टेलर्स, कृष्णा होटल के पीछे, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 171/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. चैत्य सिंह, पिता पुरुषोत्तम सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 172/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. संदीप सलोमन, पिता मनोहर सलोमन, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी: शिखर एसटीडी पीसीओ फोटोकॉपीज़ के मालिक, जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 173/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. धनीराम साहू, पिता स्व. प्यारेलाल साहू, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 44/न्यू, दुर्गा मंदिर के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 174/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक

निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. चैतराम माहेश्वरी, पिता श्री गड़रिया माहेश्वरी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 67/481, आर.एस. साइकिल स्टोर्स, जनता होटल के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 175/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. गणेशराम साहू, पिता स्व. प्यारीलाल साहू, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी पूजा फर्नीचर्स, दुर्गा मंदिर के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 176/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. सोनूराम विश्वकर्मा, पिता स्व. सखाराम विश्वकर्मा, उम्र लगभग

70 वर्ष, निवासी विश्वकर्मा फैब्रिकेटर्स के स्वामी, गोपाल एसटीडी पीसीओ अमर किराना स्टोर, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 177/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. कृष्ण कुमार साहू, पिता रामप्रसाद साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ओम कृष्णा होटल के स्वामी, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 178/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. चुन्नीलाल साहू, पिता स्व. पुसाऊ राम साहू, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मेन रोड, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 179/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. लक्ष्मीनारायण साहू, पिता स्व. प्यारीलाल साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी पूजा इलेक्ट्रिकल्स, दुर्गा मंदिर के पास, रेलवे क्रॉसिंग, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 181/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. ताराचंद साहू, पिता स्व. प्यारीलाल साहू, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 44/न्यू, न्यू हरिओम फैब्रिकेटर्स, दुर्गा मंदिर के सामने, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 182/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. सुनील कुमार नानवानी, पिता गिरधारीलाल नानवानी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी अबाबा स्टेशन के पास, मेन रोड, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 183/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : 1. डॉ. प्रवीण चंद्राकर, पिता श्री के.एल. चंद्राकर, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी चंद्राकर क्लिनिक, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 184/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्रीमती मीना चतुर्वेदी, पति जगमोहन चतुर्वेदी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर

(छ.ग.)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 185/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. होरीलाल साहू, पिता शिवचरण साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी बाल समाज के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 186/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. गोवर्धन प्रसाद मार्कण्डेय, पिता स्व. आत्माराम मार्कण्डेय, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 44, गोवर्धन किराना स्टोर, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 187/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. योगेश कुमार नानवानी पिता गिरधारीलाल नानवानी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी अबाबा एसटीडी के पास, मेन रोड, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 188/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. बरतुराम बंजारे, पिता खोरबाहरा बंजारे, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी प्रोप. राजा पान मसाला, जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 189/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्यामलाल साहू, पिता स्व. पुसाऊ राम साहू, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी प्रोप. कन्हैया पान भंडार, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 190/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : 1. घसिया राम माहेश्वरी, पिता स्व. गड़रिया माहेश्वरी, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी मकान संख्या 64/481, एस. कुमार टेलर्स, जनता होटल के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 191/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. रामप्रसाद साहू, पिता स्व. बजरंग साहू, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी ओम कृष्णा होटल के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 192/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1.मनोहर सलोमन, पिता स्व. पुसाऊ राम साहू, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मेन रोड, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 193/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. कन्हैया लाल साहू, पिता स्व. पुसाऊ राम साहू, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी होटल कन्हैया, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 194/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक

निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. भिखारी राम रात्रे, पिता डेरहा राम रात्रे, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 195/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. सुखदास बंजारे, पिता कन्हैया लाल बंजारे, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी शिवम स्क्रीन प्रिंटर्स प्राप. जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 197/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. रिखी राम साहू, पिता स्व. प्यारीलाल साहू, उम्र लगभग 46

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 44/न्यू, दुर्गा मंदिर के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 198/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. बसंत कुमार ध्रुव, पिता श्री नारायण सिंह ध्रुव, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी हिंदू बाल समाज के संचालक, द्वारा मुख्तारनामा, ठाकुर राम सिन्हा, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 199/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्रीमती खोरबाहरिन बाई, पति स्व. घसिया राम सिन्हा, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी मकान संख्या 44/नया, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 200/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. जगदीश प्रसाद साहू, पुत्र स्व. प्यारीलाल साहू, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 44/न्यू न्यू, दुर्गा मंदिर के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 201/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. अमरजीत सिंह सलूजा, पिता स्व. लाभ सिंह सलूजा, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी अबाबा एसटीडी पीसीओ के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 202/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. पवन कुमार सिन्हा, पिता घसिया राम सिन्हा, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी सुपर टेलर्स, कृष्णा होटल के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

<u>रिट अपील क्रमांक 203/2009</u>

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. कैलाश कुमार सिन्हा, पिता घसिया राम सिन्हा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी प्रॉपर्टी कैलाश इलेक्ट्रॉनिक्स, सुपर टेलर्स के पास, कृष्णा होटल के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

<u>रिट अपील क्रमांक 204/2009</u>

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. चैतराम साहू, पिता चैतुराम साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी प्रोप. विजेंद्र पान सेंटर, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 205/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. मोहम्मद गफ्फार खान पिता स्व. इब्राहिम खान, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी भारत स्क्रैप्ड ट्रेडर्स के सामने, सतनामी धर्मशाला, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 206/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. मन्नालाल चंद्राकर, पिता स्व. सकालू चंद्राकर, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 208/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. श्रीमती ममता चंद्राकर, पति नरेश कुमार चंद्राकर, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी: कामिनी मेडिकल स्टोर्स, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 209/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. राजकुमार सलूजा, पिता अमरजीत सिंह सलूजा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी साईं कंप्यूटर्स, अबाबा स्टेशन के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 210/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. सोनू विश्वकर्मा, पिता स्व. सखाराम विश्वकर्मा, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 211/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : 1. पुरुषोत्तम चंद्राकर, पिता श्री मन्नालाल चंद्राकर, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी प्रोप. विकास इलेक्ट्रिकल्स, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 212/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. मोहम्मद अज़ीज़ खान, पिता स्व. इब्राहिम खान, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी भारत स्क्रैप्ड ट्रेडर्स, सतनामी धर्मशाला के सामने, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 213/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. मंगलूराम बंजारे, पिता कन्हैयालाल बंजारे, उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी द्वारा जयश्री पोल्ट्री फार्म, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 214/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. गंगा प्रसाद मार्कण्डेय, पिता स्व. आत्माराम मार्कण्डेय, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 44/न्यू राजेश पान पैलेस, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

रिट अपील क्रमांक 215/2009

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. कालूराम धृतलहरे, पिता बलराम धृतलहरे, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

<u>रिट अपील क्रमांक 216/2009</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी : नगर पालिक निगम रायपुर, द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1)

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. सुनील कुमार सेन, पिता चंद्रिका प्रसाद सेन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी सुनील हेयर आर्ट, जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(रिट अपील में याचिकाकर्ता क्रमांक 1)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

(रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 2)

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ में अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के अंतर्गत रिट अपीलें</u>

<u>उपस्थिति:</u>

अपीलार्थी/नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल एवं श्री कासिफ शकील, अधिवक्ता ।

निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण की ओर से श्रीमती किरणमयी नायक, सुश्री शमीम रहमान एवं सुश्री ममता मिश्रा अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री ए. एस. कच्छवाहा, उप महाधिवक्ता ।

आदेश

(21.10.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया:

(1) इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 55 रिट अपीलो के समूह में पारित दिनांक 1 मई, 2009 के आदेश से व्यथित होकर, नगर पालिक निगम, रायपुर (रिट अपीलो में उत्तरवादी क्रमांक 1, जिसे आगे 'निगम' कहा जाएगा) ने ये रिट अपीलें प्रस्तुत की हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण की दुकानें और उनके निवास स्थान, तेलीबांधा, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.) में स्थित थे।

(ii) सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से, दिनांक 01.02.2009 को कुछ निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण को म.प्र.(छ.ग.) नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "अधिनियम, 1956" कहा जाएगा) की धारा 322/323 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वे 24 घंटे के भीतर अपने कथित अवैध निर्माण को हटा लें। ऐसा न करने पर, निगम द्वारा इसे हटा दिया जाएगा और इस पर होने वाला व्यय संबंधित निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण से वसूला जाएगा।

(iii) इसके बाद, दिनांक 01.02.2009 को ही, बलपूर्वक तोड़फोड़ की गई और निगम द्वारा कथित अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।

(iv) यह सत्य है कि ये रिट अपीलएँ तोडने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्तुत की गई थीं।

(v) निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण ने दावा किया कि उनका कोई अवैध अधिपत्य नहीं था, इसलिए वे अतिक्रमणकारी नहीं थे, इसलिए अधिनियम, 1956 की धारा 322 और 323 की आड़ में, उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण को कोई समय दिए बिना भी, बलपूर्वक तोडना पूरी तरह से अवैध था। रिट अपीलओं की सुनवाई के दौरान, निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि चूँकि ढाँचे पहले ही ध्वस्त किए जा चुके हैं, इसलिए उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण के पास तोडने के परिणामस्वरूप होने वाले क्षति या हानि के लिए उचित प्रतिकर के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vi) विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष निगम का तर्क था कि कुछ निजी उत्तरवादी/याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी थे और कुछ निर्माण विधि के अनुसार नहीं थे, इसलिए, निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण के मामले इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **रिट अपील क्रमांक 1035/2009 (पुरुषोत्तम सरीन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य)** में पारित पूर्व के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए थे।

(vii) विद्वान एकल न्यायाधीश ने कंडिका 7 के माध्यम से पाया कि निगम ने आदेश दिनांक 23.03.2009 (रिट अपील क्रमांक 1796/2009 में प्रस्तुत अनुलग्नक ए-1, साथ ही दिनांक 30.04.2009 को अभिलेख पर अतिरिक्त दस्तावेज लेने के लिए आवेदन) द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार एक समिति गठित की है:

"--: आदेशः--

कमांक...../ उपा, राज, / 08-09 रायपुर, दिनांक 23.03.2009

तेलीबांधा के व्यवसायियें के व्यवस्थापन हेतु दिनांक 05.02.2009 को पूर्व में गठित समिति में संशोधित करते हुए निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैं जो पूर्व में दिनांक 01.02.2009 को तेलीबांधा के व्यापारियों एवं निगम प्रशासन के बीच तीन बिंदुओं कमशः 1) जिसकी दुकानें अंशतः टूट रही हैं यदि पीछे जगह उपलब्ध है तो विधिवत पट्टे के क्षेत्रफल के बराबर जगह समयोजित की जावेगी। 2) यदि दुकानदार के पीछे भूमि शेष बचती है एवं प्रभावित भूमी का एफ.ए.आर चाहता है तो उसे एफ.ए. आर दिया जावेगा । 3) जिनकी दुकानें पूर्णतः प्रभावित हो रही है तो उनको तेलीबंधा के आसपास उपलब्ध शासकीय भूमि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर व्यवस्थापन किया जावेगा, पर हुई सहमति के आधार पर व्यवसायियों के भवन/भूमि के स्वत्व/भवन निर्माण अनुज्ञा आदि के अभिलेखों का परीक्षण कर अपना स्पष्ट अभिमत एक माह के अंदर प्रस्तुति करेगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समिति के सदस्य निम्नानुसार है :-

1. नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

2. उपायुक्त राजस्व, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

3. श्री पुलक भट्टाचार्य, तहसीलदार, रायपुर (छ.ग.)

उक्त समिति के लिए निम्न कर्मचारी प्रस्तुतकर्ता रहेंगे ।

1. श्री अश्विनी शर्मा, प्रभारी रा.उ.नि. बाजार विभाग नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

2. श्री जितेन्द्र सौमैया, उप अभियंता जोन क. 4 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)"

(viii) विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि **रिट अपील क्रमांक 1118/2009 (जगदेव सिंह गोरचा बनाम नगर पालिका निगम, रायपुर)** में एक अन्य निर्णय में निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस कथन के आधार पर मामले का दिनांक 26.3.2009 को निराकरण किया गया था कि "उत्तरवादी निगम यह सुनिश्चित करेगा कि समिति याचिकाकर्तागण/व्यापारियों के सहयोग के अधीन, आदेश दिनांक 23.03.2009 के अनुसार एक माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अनुलग्नक पी-4 में निहित करार की शर्तों को 15 दिनों की अवधि के भीतर लागू किया जाएगा"।

ix) विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जांच करने पर, समिति ने पाया है कि भूमि के 4 प्रकार हैं, अर्थात, **(i)** नियमित पट्टे पर आवंटित भूमि; **(ii)** प्राधिकरण पर प्राप्त भूमि; **(iii)** भूमि का भूमि स्वामी , और **(iv)** अतिक्रमण, जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से ध्वस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, अधिनियम, 1956 की धारा 387 के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए, रिट अपीलो का निराकरण आक्षेपित आदेश के कंडिका 14 में निहित निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 14. "पुरुषोत्तम सरीन (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने केवल अतिक्रमणकारियों के मामलों पर विचार किया है और इस प्रकार, समिति को अधिनियम, 1956 की धारा 387 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत पुनर्गठित किया जा सकता है जिसमें ऐसे पीड़ित व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा और उन्हें प्रतिकर या क्षति देय हो सकती है। पुनर्वास और प्रतिकर के उद्देश्य से गठित समिति, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय के भीतर प्रतिकर और पुनर्वास का निर्धारण करते समय भूमि के स्वामित्व और प्रकृति के संबंध में विवरणों पर विचार करेगी। यदि स्वामित्व या भूमि की स्थिति या प्रतिकर की राशि के संबंध में कोई विवाद है, तो याचिकाकर्ता या तो समिति के समक्ष विवाद उठाने के लिए स्वतंत्र हैं या अधिनियम, 1956 की धारा 387 की

उप-धारा (4) के तहत प्रदान किए गए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का आश्रय ले सकते हैं।"

(3) निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि निगम द्वारा पूर्व में गठित समिति विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए थी, अतः यह अधिनियम, 1956 की धारा 387(1) के अनुसार समिति नहीं थी। अतः अधिनियम, 1956 की धारा 387 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत समिति के पुनर्गठन के निर्देश उचित नहीं थे तथा पूर्व में गठित समिति को भूमि के स्वामित्व और प्रकृति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

(4) श्री अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण ने अपनी रिट अपीलो में **रिट अपील क्रमांक 257/2007 (दीपक कुमार श्रीवास्तव बनाम नगर पालिक निगम व एक अन्य)** में पारित आदेश दिनांक 29.03.2007 के अनुसार इसका निराकरण करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीपक कुमार श्रीवास्तव (पूर्वोक्त) के मामले में भूमि का स्वामित्व स्वीकार किया गया था और उन्हें अधिनियम, 1956 की धारा 305(1) के तहत नोटिस जारी किया गया था, जबकि वर्तमान मामलों में निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण के स्वामित्व को निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें अधिनियम, 1956 की धारा 322/323 के तहत नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें अतिक्रमणकारी माना गया था। अतः, निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत रिट अपीलएँ खारिज किए जाने योग्य थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दूसरी ओर, निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती किरणमयी नायक ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया, जबकि राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ए.एस. कच्छवाहा ने नगर पालिक निगम के अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल के तर्कों का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट अपीलों तथा रिट अपीलों के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) याचिकाकर्तागण ने अपनी रिट अपीलों में मुख्य रूप से दावा किया कि "उत्तरवादी क्रमांक 1 (यहां अपीलार्थी) को दीपक कुमार श्रीवास्तव (पूर्वोक्त) के मामले में पारित आदेश दिनांक 29.03.2007 के अनुसार नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 387 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्तागण को प्रतिकर देने का निर्देश दिया जाए। अधिनियम, 1956 की धारा 387 इस प्रकार है:

387. प्रतिकर आदि के मामलों में माध्यस्थम्।

(1) यदि किसी प्रतिकर या क्षति के संबंध में, जिसका भुगतान इस अधिनियम द्वारा किया जाना निर्दिष्ट है, कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो राशि और यदि आवश्यक हो तो उसका विभाजन तीन व्यक्तियों की पंचायत द्वारा सुनिश्चित और निर्धारित किया जाएगा, जिनमें से एक व्यक्ति निगम द्वारा नियुक्त किया जाएगा, एक उस पक्ष द्वारा, जिसे या जिससे ऐसा प्रतिकर या क्षति देय या वसूल करने योग्य हो सकती है और एक व्यक्ति, जो सरपंच होगा, का चयन ऊपर पहले से नियुक्त सदस्यों द्वारा किया जाएगा।?

(2)यदि कोई पक्ष या दोनों पक्ष, ऐसे प्रतिकर या क्षति के दावे के बारे में दूसरे पक्ष से लिखित नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर सदस्यों को नियुक्त करने में विफल रहते हैं, या यदि सदस्य सरपंच का चयन करने में विफल रहते हैं, तो पंचायत के गठन के लिए आवश्यक सदस्यों को, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, जिला न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) यदि पंचायत, सरपंच के चयन की तिथि से एक माह के भीतर या जिला न्यायालय द्वारा पंचायत के गठन के लिए आवश्यक सदस्यों की नियुक्ति की तिथि से दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत किसी अन्य दीर्घ अवधि के भीतर निर्णय नहीं देती है, तो किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन किए जाने पर मामले का निर्धारण जिला न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जो भूमि के संबंध में प्रतिकर का दावा किए जाने वाले मामलों में, न्यायालय के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट मामलों में कार्यवाही के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 द्वारा यथासम्भव प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करेगा:

परंतु यह कि-

(क) किसी संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा; और

(ख) न्यायालय को सभी कार्यवाहियों की लागत को उस तरीके से देने और विभाजित करने की पूरी शक्ति होगी, जैसा वह उचित समझे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) किसी भी मामले में जहां भूमि के संबंध में प्रतिकर का दावा किया जाता है और पंचायत ने निर्णय दिया है, कोई भी पक्ष, यदि निर्णय से असंतुष्ट है, तो उसकी तारीख से एक महीने के भीतर जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है और मामला उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार जिला न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(5) किसी भी मामले में जहाँ किसी भूमि या भवन के संबंध में प्रतिकर का दावा किया जाता है, निगम, पंचायत या जिला न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय दिए जाने के पश्चात, यथास्थिति, उस पक्षकार को, जिसे ऐसा प्रतिकर देय हो, पंचायत या जिला न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि का भुगतान करने के पश्चात् भूमि या भवन का कब्जा ले सकता है। यदि ऐसा पक्षकार ऐसा प्रतिकर स्वीकार करने से इनकार करता है, या यदि भूमि या भवन को हस्तांतरित करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है, या यदि प्रतिकर के स्वामित्व या उसके विभाजन के संबंध में कोई विवाद है, तो निगम प्रतिकर की राशि जिला न्यायालय में जमा करेगा, और ऐसी संपत्ति का कब्जा लेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) धारा 387 के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह केवल वहीं लागू होती है जहां इस अधिनियम द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर या क्षति के संबंध में कोई करार नहीं हुआ है। इसलिए, जब तक इस अधिनियम द्वारा प्रतिकर या क्षति का भुगतान करने का निर्देश न हो, तब तक अधिनियम, 1956 की धारा 387 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर के उदाहरणों में से एक अधिनियम की धारा 305 के तहत अधिग्रहण के आधार पर निगम में भूमि का निहित होना है, जो इमारतों की रेखा को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रदान करता है कि यदि किसी भवन का कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा से आगे निकलता है, चाहे वर्तमान में या भविष्य के लिए निर्धारित हो या तत्काल आसन्न भवनों के सामने से आगे, तो निगम उप-खंड (क) और (ख) के अधीन रहते हुए नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि या तो वह भाग या उसका कुछ भाग जो नियमित रेखा से आगे या तत्काल आसन्न भवन के सामने से आगे निकलता है, उसे हटा दिया जाएगा और इस तरह से पीछे हटने या हटाने से सड़क में जोड़ा गया भूमि का भाग अब से सार्वजनिक सड़क का हिस्सा माना जाएगा और निगम में निहित हो जाएगा। इस तरह से निहित होने पर, निगम स्वामी को उसके भवन या उसके किसी भाग के पीछे हटने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी

क्षति या हानि के लिए उचित प्रतिकर देगा। धारा 305 की भाषा और स्वरूप यह दर्शाता है कि निगम में भूमि का इस तरह निहित होना अपने आप हो जाता है और इस तरह से निहित होने पर इस अधिनियम के तहत निगम के विरुद्ध दावा किया जा सकने वाला एकमात्र अधिकार उचित प्रतिकर का अधिकार है, जिसका दावा केवल भूमि के स्वामी द्वारा किया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब अधिनियम 1956 की धारा 305 के तहत अपने आप निहित हो जाती है, तो भूमि का स्वामी उचित प्रतिकर का हकदार होगा, लेकिन यदि किसी अतिक्रमण को यह कहते हुए हटाया जाता है कि यह सड़क में बाधा है, तो यह निहितीकरण का मामला नहीं होगा और ऐसे अतिक्रमणों को हटाते समय निगम की कार्यवाही से प्रभावित व्यक्तियों को अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिकर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जैसा कि सार्वजनिक सड़क में स्वामी की भूमि के निहितीकरण के मामलों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) यह अधिनियम, 1956 की धारा 322 के प्रावधानों को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा जो सड़कों में अवरोध के निषेध से संबंधित है। धारा 322 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि उपधारा (2) के तहत कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, निर्धारित सूचना देने के बाद, उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) में वर्णित किसी भी अवरोध या अतिक्रमण को हटवा सकता है। हम ध्यान दें कि धारा 322 या अध्याय 26 के तहत इस धारा के बाद आने वाली कोई अन्य धारा कभी भी प्रतिकर की बात नहीं करती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही धारा 322 के तहत की जाती है तो यह ऐसा उदाहरण नहीं होगा जहां इस अधिनियम द्वारा प्रतिकर या हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया हो। इसलिए, मामलों की दो श्रेणियों में से एक अतिक्रमणकारियों की और दूसरी स्वामियों की, केवल स्वामी ही धारा 305 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत उचित प्रतिकर के हकदार होंगे और धारा 387 के तहत माध्यस्थम् से संबंधित प्रक्रिया केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी। वर्तमान मामलों में, निगम दावा कर रहा है कि निजी उत्तरवादी/याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी थे। इसलिए, उन्हें

अधिनियम, 1956 की धारा 322/323 के तहत नोटिस दिए गए थे। हालांकि, उनके हटाए जाने के बाद भी, निगम की स्वत: संज्ञान कार्यवाही पर उनके पुनर्वास के लिए उपरोक्त समिति का गठन किया गया था। निःसंदेह, ऊपर संदर्भित समिति अधिनियम की धारा 387(1) के तहत परिभाषित माध्यस्थम् के लिए समिति नहीं थी और उक्त समिति के पुनर्गठन के निर्देश, जिसमें ऐसे पीड़ित व्यक्तियों का युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व हो और धारा 387(1) से संबंधित अन्य निर्देश नहीं दिए जा सकते। इसलिए, आक्षेपित आदेश के कंडिका 14 में निहित उपरोक्त निर्देशों को यथावत नहीं रखा जा सकता।

(10) अब प्रश्न यह उठता है कि रिट अपीलओं में क्या अनुतोष दी गई है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण ने अपनी रिट अपीलओं में मुख्यतः यह दावा किया था कि अपीलार्थी/नगर पालिक निगम को दीपक कुमार श्रीवास्तव (पूर्वोक्त) के मामले में पारित आदेश दिनांक 29.3.2007 के अनुसार अधिनियम, 1956 की धारा 387 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर देने का निर्देश दिया जाए। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित करके दीपक कुमार के मामले का निराकरण किया:

> "पूर्वोक्त के दृष्टिगत, इस याचिका का निराकरण इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उक्त प्रावधानों के अनुसार माध्यस्थम की नियुक्ति के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 387 के प्रावधानों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी, यदि ऐसी राय दी जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया ।"

(11) हम देखते हैं कि उक्त मामले में निगम द्वारा अधिनियम, 1956 की धारा 305(1) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था क्योंकि यह स्वीकार्य रूप से स्वामी के मामले के संबंध में था। लेकिन अपील के इस बैच में यही स्थिति नहीं है। वर्तमान मामलों में, निजी उत्तरवादी स्वयं को स्वामी होने का दावा कर रहे हैं, जबकि निगम ने इसे स्वीकार नहीं किया है और अधिनियम, 1956 की धारा 322/323 के तहत कार्यवाही की है। हालांकि, हम मानते हैं कि यदि वास्तव में निजी उत्तरवादी/याचिकाकर्ता अपनी-अपनी संपत्तियों के स्वामी थे, तो अधिनियम के तहत उनके विधिक अधिकारों को केवल इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि निगम ने अपने विवेक से अधिनियम की धारा 322 के तहत आगे बढ़ने का विकल्प चुना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है। पुनर्वास समिति की बैठक की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज दिनांक 23.04.2009 को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शाता है कि समिति ने पाया कि 4 प्रकार के मामले थे। (रिट अपील क्रमांक 143/2009 की पेपर बुक का पृष्ठ 143 देखें)। ये मामले थे (1) नियमित पट्टे पर आवंटित भूमि के मामले; **(ii)** प्राधिकरण द्वारा प्राप्त भूमि के मामले; **(iii)** भूमि स्वामी भूमि के मामले; और **(iv)** अतिक्रमण के मामले। समिति ने ऐसी श्रेणियों से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों को दर्शाने वाला एक चार्ट भी तैयार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गठित समिति ने भी पाया था कि ऐसे व्यक्ति थे जो स्वामी या पट्टा धारक या अधिकृत निवासी थे, जिनके निर्माण को भी अधिनियम, 1956 की धारा 322/323 के प्रावधानों का सहारा लेकर उन्हें अतिक्रमणकारी मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। हमारा मानना है कि यदि निगम ने निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण को उचित समय दिया होता तो वे यह सब निगम के अधिकारियों के ध्यान में लाते और कम से कम स्वामियों के मामलों को अधिनियम, 1956 की धारा 305 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया गया होता और उसके बाद उनके मामलों को निगम में उनकी भूमि के अपने आप निहित होने के कारण प्रतिकर पर विचार करने के लिए सीधे भेजा गया होता। लेकिन कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि बलपूर्वक तोडना अत्यधिक मनमाने ढंग से हुआ। रिट अपीलों के तर्कों के दौरान, हमने निगम के अधिवक्ता से एक प्रश्न किया था कि उन्हें अधिनियम की धारा 322/323 के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस में 24 घंटे का समय में उल्लेख करने का विचार कहां से मिला, इस पर, निगम के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त कथित अतिक्रमणों को हटाने के लिए नोटिस में इतनी कम अवधि का उल्लेख करने का कोई आधार नहीं बता सके।

(12) जैसा भी हो, चूँकि निगम ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एक समिति गठित की है और उनके अपने दस्तावेज़ों के अनुसार, कुछ विस्थापित व्यक्ति/निजी उत्तरवादी/याचिकाकर्ता स्वामी थे, इसलिए हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ इन रिट अपीलों का निराकरण करना उचित समझते हैं:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) दिनांक 1 मई 2009 के आक्षेपित आदेश के कंडिका 14 में निहित उल्लेखित अपास्त किए जाते हैं;**(ii)** पुनर्वास हेतु गठित समिति को आगे बढ़ने और निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण को अपने दावे प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, उनके द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार याचिकाकर्तागण/निजी उत्तरवादियों के मामलों की जाँच करने का निर्देश दिया जाता है;

(iii) उन स्वामी/व्यक्तियों के मामलों का पता लगाया जाएगा जो अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिकर पाने के हकदार हैं, और उन मामलों का अधिनियम, 1956 की धारा 305 के प्रावधानों के अनुसार निराकरण किया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें अधिनियम, 1956 की धारा 322/323 के तहत नोटिस दिए गए थे; और ऐसे मामलों में, यदि किसी प्रतिकर या क्षति के संबंध में कोई करार नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष को अधिनियम, 1956 की धारा 387 के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार होगा;

iv) निजी उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण के मामले, जो निर्देश संख्या **(iii)** के अंतर्गत नहीं आते हैं, निगम द्वारा उनके पुनर्वास के लिए बनाए गए मानदंडों के अनुसार निराकृत किये जाएँगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) तदनुसार, रिट अपीलें उपरोक्त निर्देशों के साथ निराकृत की जाती हैं।

(14) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है ।

सही/-
सुनील कुमार सिंन्हा
न्यायाधीश

सही/-
श्री आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Angel Kujur, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur